न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 72/2010–11 अन्तर्गत धारा 333 ज0वि0अधि0

1. मोल्हड पुत्र स्व0 श्री चौहल सिंह, 2. रामपाल पुत्र स्व0 श्री चौहल सिंह, निवासी–ग्राम बादशाहपुर, परगना, गोरधनपुर, तहसील लक्सर, जिला–हरिद्वार।

बनाम

1. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर हरिद्वार, 2. तहसीलदार लक्सर, जिला–हरिद्वार,
3. ग्राम सभा मिर्जापुर उर्फ मोहनावाला द्वारा ग्राम प्रधान ग्रामसभा मिर्जापुर उर्फ मोहनावाला परगना गोरधनपुर तहसील लक्सर, जिला–हरिद्वार।

उपस्थिति : श्री पी0एस0 जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री प्रेमचन्द्र शर्मा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री विनोद डिमरी, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व)।

निर्णय

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त द्वारा सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगना अधिकारी, लक्सर के द्वारा उनके द्वारा समक्ष लम्बित वाद संख्या–14/2011 मोल्हड आदि बनाम उत्तराखण्ड सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 16–09–2011 से क्षुब्ध होकर योजित की गई है।

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण इस प्रकार है:–

निगरानीकर्तागण/वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक घोषणात्मक वाद सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगना अधिकारी, लक्सर जनपद–हरिद्वार के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वाद के विचारण की अवधि में विद्वान सहायक कलेक्टर ने वादीगण के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 03–08–2011 को एक अस्थाई व्यादेश **" सुना, प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है। न्याय हित में दौराने वाद वादीगण के कब्जे काश्त में कोई हस्तक्षेप न करें "** पारित किया गया। इसी मध्य राजकुमार पुत्र रामपाल एवं 23 अन्य निवासीगण ग्राम–मिर्जापुर उर्फ मोहनवाला, परगना गोरधनपुर, तहसील–लक्सर, जिला–हरिद्वार द्वारा पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके विरूद्ध वादीगण द्वारा आपत्ति की गई। पक्षकार बनाये जाने प्रार्थना पत्र के साथ ही उससे सम्बन्धित आवेदकों द्वारा दिनांक 03–08–2011 को पारित अन्तरिम अस्थाई व्यादेश को निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया। दिनांक 16–09–2011 को बिना सम्बन्धित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने सम्बधी प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय लिये विद्वान

सहायक कलेक्टर ने स्वयं के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–08–2011 को निरस्त कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मूल वाद में जिन 24 व्यक्तियों ने पक्षकार बनने की प्रार्थना की थी, ने इस न्यायालय में भी पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना की जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16–09–2015 को दूसरे मा0 सदस्य ने उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने की अपेक्षा की ताकि इस निगरानी स्तर पर उन्हें पक्षकार स्वीकार किये जाने का प्रकरण देखा जा सके परन्तु सुनवाई के स्तर पर इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नही हुई है, कि सम्बन्धित व्यक्ति मूलवाद में पक्षकार बन पाये या नही। प्रस्तुत निगरानी में एक अति सूक्ष्म बिन्दु अन्तर्निहित है जिसके निस्तारण से सम्बन्धित व्यक्तियों को मूलवाद में पक्षकार बनाये जाने अथवा न बनाये जाने के प्रंसग पर कोई प्रभाव नही पड़ता है। अतः निगरानी को उपस्थित पक्षों के तर्कों के आधार पर निस्तारित किया जाना यथेष्ट है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं संगत अभिलेखों का अध्ययन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सम्बन्धी कथन है कि पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय लिये बिना सम्बन्धित व्यक्तियों की प्रार्थना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को स्वयं द्वारा पारित अन्तरिम व्यादेश दिनांक 03–08–2011 को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नही प्राप्त था, कि विद्वान सहायक कलेक्टर को सर्वप्रथम पक्षकार बनाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र को निस्तारित करना चाहिए जिसके बिना सम्बन्धित व्यक्तियों का मूलवाद में कोई locus standi नही होता है एवं यह कि वाद में अपरिचित व्यक्तियों के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 03–08–2011 के आदेश को स्थगित कर विद्वान सहायक कलेक्टर ने सारवान तात्विक त्रुटि की है जो स्थिर रहने योग्य नही है। तदनुसार विद्वान अधिवक्ता ने आदेश दिनांक 03–08–2011 को यथावत रखकर प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित करने पर बल दिया कि मूलवाद में पक्षकार बनने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम निस्तारित हो। दूसरी ओर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व ने कहा कि वादग्रस्त भूमि श्रेणी 3 की है एवं वाद के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित होना आवश्यक है।

मूलवाद की अब तक की कार्यवाही से परिलक्षित है कि रामकुमार पुत्र हरिराम व 23 अन्य के पक्षकार बनाये जाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र दिनांक 27–08–2011 पर सकारात्मक आदेश पारित किये बिना उनका मूलवाद में हस्तक्षेप करने का अथवा सुनवाई का अधिकार (locus standi) नही था। तदनुसार उनके प्रार्थना पत्र पर विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने ही आदेश दिनांक 03–08–2011 को स्थगित कर ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है जो उनमें निहित नही था क्योंकि उन्हें सर्वप्रथम पक्षकार बनाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर न्यायसंगत निर्णय लिया जाना चाहिए था एवं यदि सम्बन्धित व्यक्ति पक्षकार

बनाये जाते हैं तो उसके पश्चात ही उनकी अस्थाई व्यादेश सम्बन्धी प्रार्थना पर विचार किया जाना चाहिए था। आक्षेपित आदेश प्रत्यक्ष रूप से (patently) त्रुटिपूर्ण है। उक्त के दृष्टिगत आक्षेपित आदेश स्थिर रहने योग्य नही है।

एक स्थिति यह भी है कि आक्षेपित आदेश अन्तरिम एवं वादकालीन आदेश है जिसे परिवर्तित एवं संशोधित करने का अधिकार परीक्षण न्यायालय में निहित है। कदाचित वर्तमान प्रकरण में आक्षेपित आदेश को परिवर्तित, संशोधित अथवा निरस्त करने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र निगरानीकर्तागण द्वारा परीक्षण न्यायालय में नही प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। इस दृष्टि से वर्तमान निगरानी अपरिपक्व है तथापि प्रकरण के पूर्व प्रस्तर में विवेचित विधिक स्थिति के दृष्टिगत आक्षेपित आदेश खण्डित किये जाने योग्य है।

आदेश

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 16–09–2011 अपास्त किया जाता है। विद्वान सहायक कलेक्टर, लक्सर सर्वप्रथम पक्षकार बनाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर मूलवाद की कार्यवाही यथाशीघ्र विधिवत निस्तारित करेगें।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 31–03–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एंस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)